13-04-2023

गुयाना - वेनेजुएला सीमा विवाद

समाचार पत्रों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के न्यायाधीशों ने हाल ही में फैसला सुनाया कि गुयाना और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। दोनों लैटिन अमेरिकी राष्ट्र एस्सेदिवो नदी के पश्चिम में स्थित ट्यूनीशिया के आकार के जंगल के लिए संघर्षरत हैं।

त्वरित मुद्दा?

- दक्षिण अमेरिका में ब्रिटिश और स्पेनिश शक्तियों के बीच अपनी औपनिवेशिक स्थापना के बाद से गुयाना और वेनेजुएला के बीच भूमि सीमा विवादित रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- 1840 के दशक में, ब्रिटिश सरकार ने सीमा का एकतरफा सर्वेक्षण किया था, लेकिन प्रस्तावित रेखा ने वेनेजुएला के क्षेत्रीय दावों का अतिक्रमण किया।
- सीमा के बाद से मध्यस्थता (1899) की गई है और द्विपक्षीय रूप से सीमांकन (1905) के बाद सहमति हुई है लेकिन संघर्ष की स्थिति फिर भी बनी हुई थी।
- वेनेजुएला का कहना है कि ब्रिटिश गुयाना और वेनेजुएला के बीच सीमा के बारे में 1899 का आबिंदूल निर्णय शून्य है।
- मध्यस्थता को वेनेजुएला द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 1966 के समझौते ने मूल मध्यस्थता को रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला 2018 में आईसीजे में ले जाया गया।
- 2019 में, वेनेजुएला ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले को तय करने का अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं है।
- वेनेजुएला एस्सेदिबो (Essequibo) नदी के क्षेत्र पर दावा करता है। वेनेजुएला का कहना है कि ब्राजील के क्षेत्र में पहुंचने से पहले नदी का जो क्षेत्र 1,034 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उस पर उसका अधिकार है। वर्तमान में लगभग 142,795 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया गया है जो वर्तमान में गुयाना द्वारा प्रशासित है।
- अपतटीय विवादित भूमि क्षेत्र समुद्री स्थान है जिसे हाल ही में हाइड्रोकार्बन संसाधनों से समृद्ध होने के लिए खोजा गया था, जो भूमि सीमा विवाद को और तीव्र करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने फैसला किया है कि वह उन कंपनियों से परमिट आवेदन लेना शुरू करेगी जो समुद्र तल पर खनन करना चाहती हैं विशेषकर पॉली-मेटैलिक नोड्यूल्स का खनन।

त्वरित मुद्दा?

- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स मैंगनीज और आयरन हाइड्रॉक्साइड्स के गोल संचय हैं जो समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये 4000-6500 मीटर की पानी की गहराई पर रसातल के मैदानों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल में मुख्य रूप से अवक्षेपित आयरन ऑक्सीहाइड्रॉक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड होते हैं, जिन पर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी धातुए सोर्ब होती हैं।
- मुख्य रूप से उत्तर-मध्य प्रशांत महासागर, दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी हिंद महासागर में पाए जाते हैं।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी और 1994 के कन्वेंशन के तहत समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित है।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में 167 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 के सभी पक्षकार इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के सदस्य हैं।

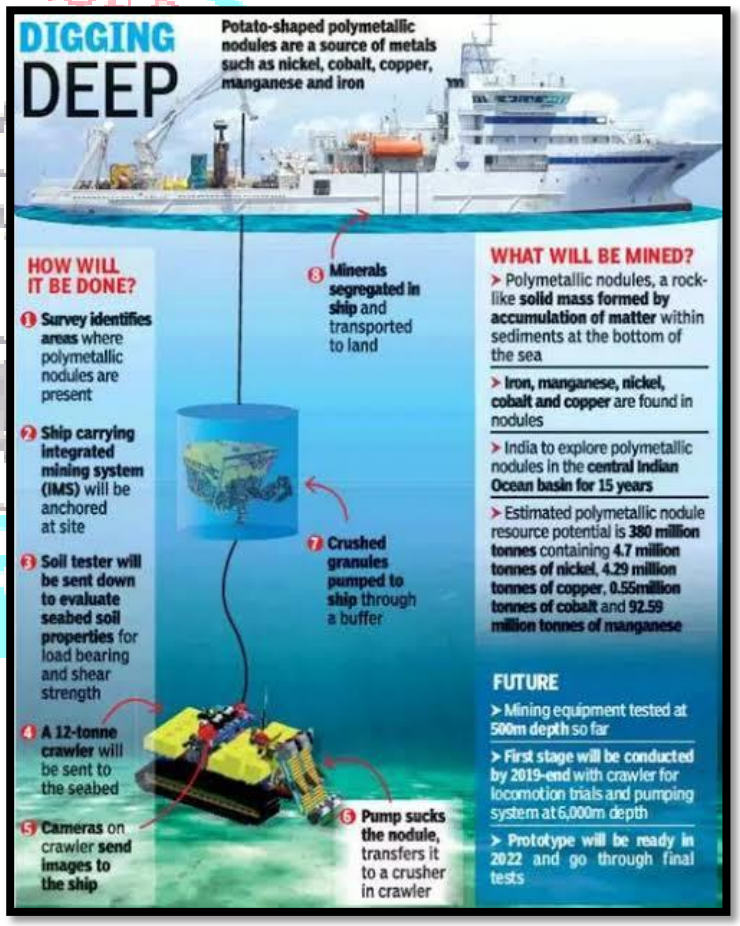

- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को एक ऐसे संगठन के रूप में मैंडेट प्राप्त है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के पक्षकार देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र खनिज संबंधी सभी गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र वह हिस्सा जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है राष्ट्रीय अधिकार - क्षेत्र की सीमा से परे समुद्री तल और महासागरीय तल और उसकी उपमृदा है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

- 2023 जुलाई में, ISA उन कंपनियों से परमिट आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा जो समुद्री तल से खनिज निकालने में दिलचस्पी रखती हैं।
- समुद्री खनन के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली मूल्यवान सामग्री में कोबाल्ट, कॉपर, निकेल और मैंगनीज शामिल हैं।
- परमिट पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में अस्पष्टता के कारण, ISA की परमिट देने की अधिकार होते हुए भी, परमिट समीक्षा प्रक्रिया के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।

जोजिला सुरंग

समाचार पत्रों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई वाली एक संसदीय समिति भी जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे।

त्वरित मुद्दा?

- जोजिला सुरंग कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल को लद्दाख में करगिल जिले के द्रास कस्बे में मिनीमार्ग से जोड़ेगी। सोनमर्ग से बालटाल तक 18 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग है जबकि मुख्य सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर है।

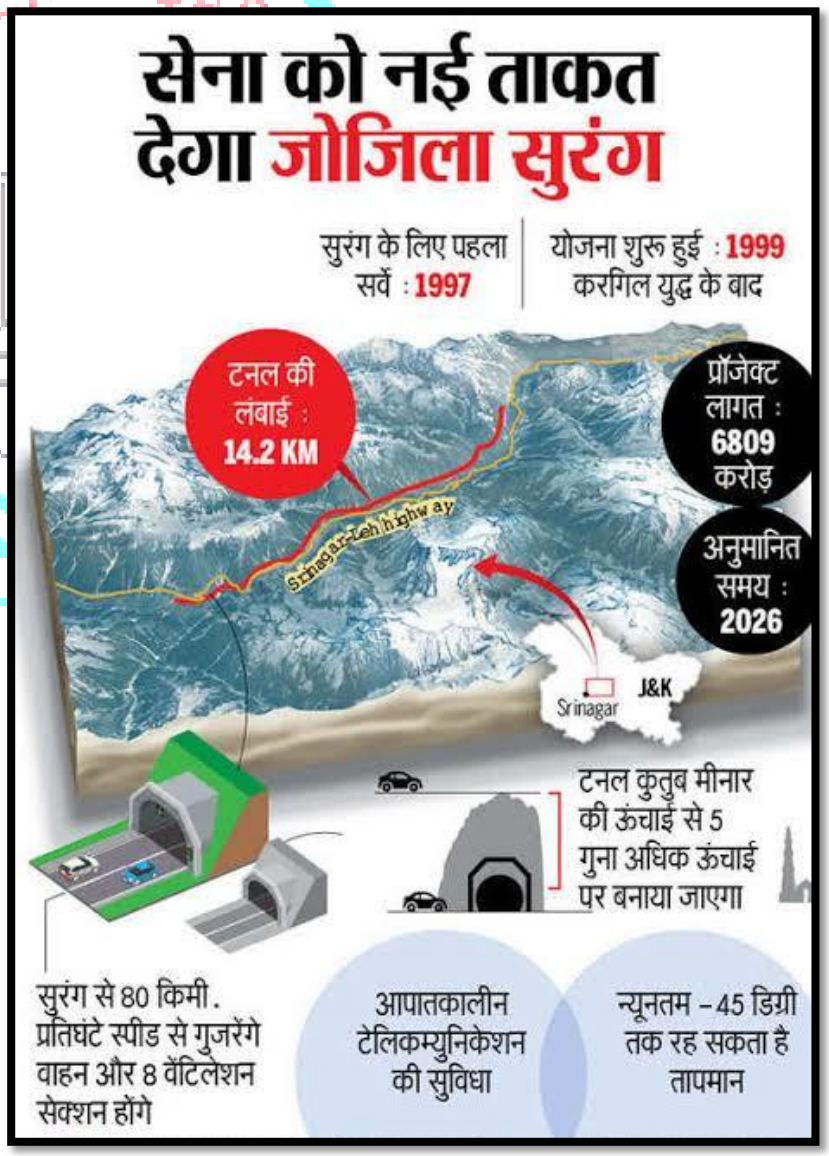

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- ज़ोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी (14.15 किलोमीटर) और सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है।
- ज़ोजिला सुरंग श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) को लेह (लद्दाख) से जोड़ेगी।
- इस सुरंग को 6809 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है और इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- इस सुरंग को स्मार्ट टनल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह पूरी तरह से अनुप्रस्थ वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी सहित आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा।

- इसमें निर्बाध बिजली आपूर्ति, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, यातायात लॉगिंग उपकरण और एक सुरंग रेडियो प्रणाली लगाई जा रही है।
- सर्दियों के महीनों में बर्फबारी के दौरान जोजिला दर्रा बंद रहता है, इस प्रकार लद्दाख को कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों से काट दिया जाता है, लेकिन अब इस सुरंग के माध्यम से हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी।

- यह सुरंग NH-1 पर श्रीनगर-कारगिल-लेह खंड को हिमस्खलन से मुक्त कर देगी।
- इसके बनने से यात्रा के समय में कमी आएगी (3 घंटा 30 मिनट से घटकर 15-20 मिनट)
- इस सुरंग के निर्माण से आर्थिक विकास के साथ साथ इन क्षेत्रों का सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण भी सुनिश्चित होगा।
- इस सुरंग का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि लद्दाख, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है और वर्ष में लगभग छह महीने हवाई आपूर्ति पर निर्भर करता है। यह सेना को लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा।
- इस सुरंग के निर्माण से इस क्षेत्र में पर्यटन, स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' योजना की घोषणा की गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जायेगा।
- इस योजना पर 2022 से 2026 तक 4800 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे
- 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है।

- कार्यक्रम के पहले चरण में, 46 ब्लॉक्स में 662 गांवों की लगभग 1 लाख 42 हज़ार की आबादी को कवर किया जाएगा।

- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें- सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है।
- इस योजना के तहत आवासीय व पर्यटक केंद्रों का निर्माण, सड़क संपर्क तथा विकेंद्रित नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाएगा। साथ ही घरों तक दूरदर्शन और शिक्षा संबंधित चैनलों की सीधे पहुँच प्रदान की जाएगी तथा आजीविका के लिये सहयोग दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों के सहयोग से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे और केंद्र व राज्य की योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- चीन ने विगत कुछ वर्षों में भारत के साथ-साथ भूटान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गाँवों का विकास किया है।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इन मॉडल गाँवों के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC) के समीप स्थित गावों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इन गांवों से पलायन रोकना।
- सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर "हब एंड स्पोक मॉडल"पर विकास केंद्रों को विकसित करना।
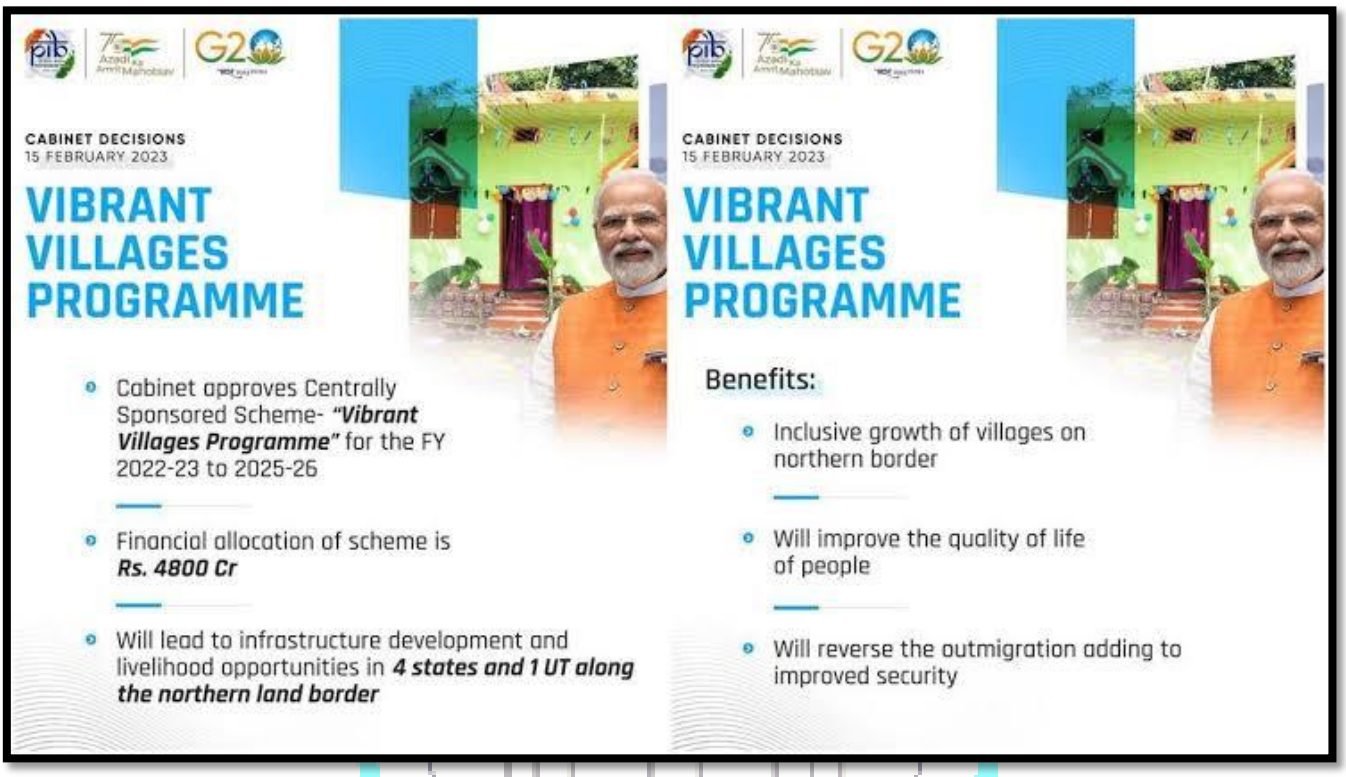
- स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना।
- समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से "एक गांव एक उत्पाद" की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना।